न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प बलुपुरा, तहसील सुमेरपुर
पीठासीन अधिकारीः– श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 68 / 2007
दायर तिथि– 14.08.2007
तारीख फैसला– 31.05.2018

वादीगण:–स्व0उमसिंह पुत्र जालमसिंह जाति राजपूत निवासी जाणा तहसील सुमेरपुर जिला पाली के कायम मुकाम वारिसानः–

1.भंवरसिंह पुत्र उमसिंहजी, आयु बालिग
2.नरपतसिंह पुत्र उमसिंहजी, आयु बालिग
जातिगण राजपूत निवासीगण जाणा तहसील सुमेरपुर, जिला पाली

बनाम

प्रतिवादीगण:–

1.स्व0जयसिंह गोदपुत्र नेनसिंहजी के कायम मुकाम् वारिसान्
1 / 1.पंवन कंवर पत्नि स्व0जयसिंह जी
1 / 2.भीखसिंह पुत्र स्व0जयसिंह जी
1 / 3.हुक्मसिंह पुत्र स्व0जयसिंह जी
1 / 4. गणपतसिंह पुत्र स्व0जयसिंह जी
1 / 5.सोहनकंवर पुत्री स्व0जयसिंह जी,जातिगण–राजपूत, निवासगण–जाणा तहसील सुमेरपुर, जिला पाली(राजस्थान)
2. श्रीमान् भूमिधारी–तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली(राजस्थान)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट, 1955

–ःनिर्णयः–

वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा जाणा पटवार क्षैत्र बलुपुरा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 67, 68 है। जिसमें वादिगण को कृषि भूमि खसरा नं. 68 रकबा 1.62 हैक्टर एवं प्रतिवादीगण कृषि भूमि खसरा नं. 67, रकबा 1.50 व खसरा नं. 0.13 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाता है। बंटवाडा रिपोर्ट व नजरी नक्शा पटवारी हल्का बलुपुरा से प्राप्त कर रेकर्ड पर लिये गये जिसके फलस्वरूप उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत पक्षकारों के मध्य निम्न रूपेण अन्तिम विभाजन किया जाता है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ख.नं.	रकबा(हैक्टर)	किस्म
1	भंवरसिंह नरपतसिंह पि. उमसिंह कौम राजपुत सा.देह खातेदार	68	1.62	बा.अ.
2	भीखसिंह, हुक्मसिंह, गणपतसिंह पि. जयसिंह सोहनकंवर पुत्री जयसिंह, पवनकंवर पत्नी जयसिंह कौम राजपुत सा.देह खातेदार	67 68 / 1	1.50 0.13	बा.अ.

अतः वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार एवं डिक्री किया जाकर उपरोक्तानुसार अन्तिम विभाजन किया जाता है तथा बटवाड़ा मुजब खातेदार एक–दुसरे की बंट व हिस्से की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार से दखलंदाजी या हस्तक्षेप नहीं करेंगें एवं ना ही अन्य किसी से करायेंगें, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है। माफिक बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अंतिम पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सुमेरपुर एवं हल्का पटवारी बलुपुरा उपरोक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व राजस्व नक्शा में तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। पटवारी हल्का बलुपुरा से प्राप्त प्रस्तावित बंटवाड़ा रिपोर्ट व नजरी नक्शा इस निर्णय अभिन्न भाग माना जायेगा।

निर्णय आज दिनांक **31.05.2018** को राजस्व लोक अदालत केम्प बलुपुरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner